UPME010032092026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 03 मेरठ।
पीठासीन अधिकारी- जयेन्द्र कुमार, एच०जे०एस० (UP 3836)
कम्प्यूटर रजिस्टर नं० 1132/2026
नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं० 896/2026

गुलजार पुत्र शौकीन, निवासी ग्राम जोला, थाना बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं० 77/2026
अन्तर्गत धारा- 123, 309(4), 317(2),
318(4), 3(5) बी०एन०एस०
थाना मवाना, जिला मेरठ

उपस्थितः
श्रीमती प्रेरणा वर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक),
श्री तैय्यब खान, आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता,

16.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा०ना०सु०सं०, 2023 आवेदक/अभियुक्त गुलजार पुत्र शौकीन की ओर से उपर्युक्त प्रकरण में जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु दायर किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौ० आसू पुत्र अबरार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो आवेदक/अभियुक्त का जीजा है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री तैय्यब खान एवं श्रीमती प्रेरणा वर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 21.02.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 77/2026, दर्ज कराई गई जिसमें कथन किया गया कि "महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मेरे ससुर सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नदान सिंह उम्र करीब 71 वर्ष निवासी फ्लैट नं० 565 पकेट-52, सेक्टर ए/10 भारत अपार्टमेट, निकट सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र हॉस्पीटल नरेला, दिल्ली दिनांक 15.02.26 को हमारे घर प्रीतनगर कॉलोनी मौ० तिहाई, थाना मवाना मेरठ आये थे जो कि दिनांक 17.02.2026 को दोपहर के समय मवाना से रोडवेज बस में बैठकर दिल्ली के लिए जा रहे थे जो शाम तक अपने घर नहीं पहुंचे तो मैंने उनके मो० नं० 9868311657 पर कॉल की तो नम्बर बन्द आया, काफी इधर उधर तलाश करने के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली तो मैंने थाना मवाना पर दिनांक 18.02.2026 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी, काफी पूछताछ व

तलाश करने पर जानकारी मिली। दिनांक 18.02.26 को रोडवेज बस के कन्डैक्टर के द्वारा मेरे ससुर सुरेन्द्र सिंह को बेहोशी की हालत में एलएनजेपी हॉस्पीटल दिल्ली में भर्ती कराया था जिनको मेरे द्वारा दिनांक 19.02.2026 की रात्री में एलएनजेपी हॉस्पीटल दिल्ली से लाकर न्यूट्रिमा हॉस्पीटल मेरठ में भर्ती कराया था उसके बाद मेरे ससुर को होश आने पर उन्हें ने बताया कि जब मैं मवाना से मेरठ जाने वाली बस में बैठा था तो उसी बस में चार अज्ञात लोग भी मेरे साथ चढे थे जो कि मेरे पास में ही बैठ गये थे बस के कुछ दूरी चलने के बाद उन्होंने मुझे खाने के लिए बिस्कुट दिया तो मैंने खाने से मना कर दिया। मेरठ पहुंचने के बाद जब में मेरठ से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस में बैठ गया तो यह चार अज्ञात लोग भी उसी बस में चढ़ गये और मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गये रास्ते में इन चार लोगों में मुझे फिर से बिस्कुट खिलाया और पानी पिलाया इसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद यह लोग मेरे ससुर का काले कलर का बैंग जिस पर लेविया लिखा हुआ जिसमें कुछ जरूरी कागजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, चैक बुक, पास बुक, शस्त्र लाईसेंस की बुक, ड्राईविंग लाईसेंस आदि व उनका मोबाईल व उनकी जैकेट की जेब में रखे पचास हजार रूपये लेकर फरार हो गये। चार अज्ञात लोगों के द्वारा मेरे पास बुक, शस्त्र लाईसेंस की बुक, ड्राइविंग लाईसेस, आदि व उनका मोबाईल तथा उनके ससुर के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर जहरखुरानी की गई तथा धोखे से उनके मोबाईल के माध्यम से दिनांक 17.02.26 को करूर वैश्य बैंक जिसका खाता संख्या-4104175000000604 से पचास हजार रूपये व दिनांक 18.02.26 को यूको बैंक जिसका खाता सं०-90100100002949 से पचास-पचास हजार रू० की दो ट्राजेक्शन की। अभी मेरे ससुर पूर्ण रूप से स्वस्थ्य नहीं है और अन्य बात मैं बाद में जानकारी करने पर बता दूंगा आज मैं थाने पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 4 दिन देरी ले लिखाई गई है और देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त की कोई शिनाख्त नहीं कराई गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 22.02.2026 से जिला कारागार, मेरठ में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का दौरान विवेचना/विचारण गवाहान को डराने धमकाने का कोई भय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया तथा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षों के तर्क सुने एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के सम्यक परिशीलन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त की शिनाख्त परेड नहीं कराई गई है। मामले के विचारण एवं निस्तारण में लम्बा समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, इस न्यायालय के विचार में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त गुलजार पुत्र शौकीन द्वारा मु०अ०सं० 77/2026, अन्तर्गत धारा- 123, 309(4), 317(2), 318(4), 3(5) बी०एन०एस०, थाना मवाना, जिला मेरठ के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जाता हैः-

i. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी समान धनराशि के दो प्रतिभू बंधपत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के प्रस्तुत करने होगें।

ii. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

iii. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व आज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

iv. आवेदक/अभियुक्त नियमित रूप से नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

16.03.2026

(जयेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं० 03, मेरठ
J.O. Code UP 3836